रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266592
CG-DL-E-01102025-266592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4360] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 4360] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4485(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1822(अ) दिनांक 17/04/2025 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 22/04/2025 में प्रकाशित की गई थी,द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में JTN#152 से JTN#200 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के अंबासन & भेसाना गांव, तहसील मेहसाणा एवं जिला मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 24/04/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट JTN#152 से JTN#200

तालुका:- मेहसाणा जिला:- मेहसाणा राज्य:- गुजरात

गांव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	अंबासन	1728		00	07	20
2		1736		00	05	25
3		1737		00	11	25
4		1738		00	12	90
5		1995		00	02	10
6		1817		00	14	50
7		1818		00	15	30
8		1810		00	06	85
9		1819		00	08	05
10		1820		00	15	85
11		1807		00	07	90
12		1806		00	07	50
13		1821		00	01	10
14		2006		00	02	15
15	भेसाना	197		00	15	80
16		198		00	23	80
17		201		00	22	40
18		247		00	10	00
19		248		00	14	30
20		244		00	12	55
21		830		00	02	25
22		339		00	17	95
23		342		00	10	90
24		343		00	19	60
25		344		00	05	70

26		345		00	16	10
27		323		00	10	15
			कुल क्षेत्रफल	**02-99-40**		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/10/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी (ई-52680)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

S.O. 4485(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1822(E) Dated 17/04/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 22/04/2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from JTN#152 To JTN#200 in Ambasan & Bhesana villages, Tal. Mehsana & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 24/04/2025 .

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE JTN#152 to JTN#200

TALUKA:- MEHSANA DISTRICT:- MEHSANA STATE:- GUJARAT

Name of village		**Survey No./Block No.**	**Part if any**	**Area**		
				Hq.	**Are**	**Sq. mtr.**
1		**2**	**3**	**4**		
1	Ambasan	1728		00	07	20
2		1736		00	05	25
3		1737		00	11	25
4		1738		00	12	90
5		1995		00	02	10
6		1817		00	14	50
7		1818		00	15	30
8		1810		00	06	85
9		1819		00	08	05
10		1820		00	15	85

11		1807		00	07	90
12		1806		00	07	50
13		1821		00	01	10
14		2006		00	02	15
15	Bhesana	197		00	15	80
16		198		00	23	80
17		201		00	22	40
18		247		00	10	00
19		248		00	14	30
20		244		00	12	55
21		830		00	02	25
22		339		00	17	95
23		342		00	10	90
24		343		00	19	60
25		344		00	05	70
26		345		00	16	10
27		323		00	10	15
			Total	**02-99-40**		

[F. No. Expl-13011(26)/10/2025-EXPL-PNG (E-52680)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.01 21:55:12 +05'30'